2018/00146

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्री वासुदेव मालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 07/2018 (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (प्रार्थी)

बनाम

1. हंसराज पुत्र मांगीलाल
2. रामबिलास पुत्र मांगीलाल
3. पुखराज पुत्र मांगीलाल
4. सुगना पुत्री मांगीलाल
5. जगन्नाथी बाई पत्नी मांगीलाल
6. रामसिया पुत्री गिर्राज
7. सुगना बाई पत्नि गिर्राज जाति मीना निवासीगण बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित :– श्री रामरतन मीना (अभिभाषक अप्रार्थीगण क्रम 1 से 6)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक : 29.08.2019

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम बगतरी तहसील दीगोद के गत खसरा नम्बर 265/2 हाल खसरा नम्बर 536, 667 जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में खाता नम्बर 164 पर उक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम बगतरी तहसील दीगोद के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतौनी 2013–2032 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 164 सम्वत् 2072–2075 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थीगण नं0 1 से 6 तक की ओर से श्री रामरतन मीना एड0 का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में तथ्य अंकित किये है कि प्रार्थी की आराजी बारानी द्वितीय है, किसी प्रकार कोई नाले की जमीन नही है, गलत रिपोर्ट माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत की है, जिसकी नकल जमाबन्दी माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत की जा रही है । उक्त आराजी सन् 1977 मे प्रार्थीगणों के पिता के पिता के नाम अलोटमेन्ट हुई थी, तब से काबिज काश्त करते हुये आ रहे है । काफी रूपये लगाकर कृषि योग्य भूमि बनाई गई है, अलोटमेन्ट की शर्ते पूरी की गयी है तथा डीएलसी की राशि भी प्रार्थीगण द्वारा जमा करायी गयी है , वर्तमान मे भी प्रार्थीगण काबिज व काश्त करते हुये आ रहे है एक गलत राजनैतिक दुर्भावना से गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करवा कर प्रार्थीगण को उक्त आराजी से बेदखल करवाने पर आमादा हो रहे है, जबकि प्रार्थीगण वर्षो से काबिज व काश्त करते हुये आ रहे है, ऐसी स्थिति मे पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, जबकि सन् 1977 से काबिज है व राजस्व रिकार्ड मे भी अमल दरामद हो चुका है और वर्तमान मे अप्रार्थीगण की फसल खडी हुई है । अप्रार्थीगणों की आराजी पर आवंटन निरस्त कर दिया गया तो अप्रार्थीगण को अपार क्षति होगी क्योकि उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी नही है, इसी आराजी पर पूरा परिवार निर्भर है, पूरी आजिविका की राशि इसी आराजी मे लगा चुके है । प्रार्थी के द्वारा यानि तहसीलदार दीगोद के द्वारा जो गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है, क्योकि उक्त आराजी वर्तमान मे बाराजी तृतीय किस्म की है, आस–पास के समस्त काश्तकारों को अलोट हुई है, प्रार्थीगण की आराजी बीचों बीच है, अन्य काश्तकारों को किसी प्रकार से कोई नोटिस जारी नही हुये है । ऐसी स्थिति मे तहसीलदार दीगोद द्वारा जो प्रार्थना पत्र षडयंत्र व राजनैतिक दुर्भावना वश प्रस्तुत किया गया है जो स्वतः ही खारिज होने योग्य है । अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज करने का निवेदन किया गया ।

4. प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत हो जाने पर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है कि ग्राम बगतरी तहसील दीगोद के गत खसरा नम्बर 265/2 हाल खसरा नम्बर 536, 667 जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में खाता नम्बर 164 पर उक्त अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम बगतरी तहसील दीगोद के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2013–2032 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 164 सम्वत् 2072–2075 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने बावत तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स श्री मान निबन्धक महो0, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा